वादी उपस्थित/ वास्ते तलबी दि० 18-9-19
को पेश हो/

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

दिनांक 18–9–19

आज पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री तारेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30–9–2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

30–09–19

आज पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी की ओर से श्री तारेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने दिनांक 19–3–19 को उपस्थिति दी थी किन्तु आज तक वकालता नामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15–3–19 के सम्मन पर अंकित किया है कि दशरथसिंह पूर्व में ही फौत हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी दशरथसिंह का देहान्त हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महुवा (जिला दौसा)